सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या–2123(2)/सैंतीस–2–2023–1(5)/2022

प्रेषक,
डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 30 अगस्त, 2023

विषय–प्रदेश में गोवंश में Lumpy Skin Disease (LSD) की मिशन मोड में रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र से कतिपय जनपदों में गोवंशों में Lumpy Skin Disease (LSD) के संक्रमण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह एक विषाणुजनित रोग है। इसका प्रसार प्रभावित पशुओं से वेक्टर आदि के माध्यम से अन्य पशुओं में होता है। LSD संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा उपचार हेतु पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1593/सैंतीस–2–2022 दिनांक 23 अगस्त, 2022 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये थे।

2– इस संक्रामक रोग के प्रदेश में प्रसार पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रभावी नियंत्रण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। लम्पी स्किन डिजीज के संक्रमण को नियंत्रित करने, निवारक उपाय करने, उपचार एवं टीकाकरण तथा प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता हेतु निम्न प्रस्तरों के अनुसार कार्यवाही किया जाना होगाः–

(1) LSD संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने एवं संक्रमित गोवंश के उपचार हेतु विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर समुचित तैयारी के साथ युद्ध स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(2) मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा मण्डल एवं जनपद स्तर पर टीमें गठित की जाय तथा इस टीम में राजस्व, ग्राम विकास, पंचायतीराज, नगर विकास, पशुपालन एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुये संक्रमित गोवंशों का डाटा कलेक्शन किया जाय।

(3) मण्डलायुक्त स्तर पर गठित अन्तर्विभागीय समिति में अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग एवं जिलाधिकारी स्तर पर गठित अन्तर्विभागीय समिति में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को संयोजक नामित किया जाय। जिला स्तर पर समिति की बैठक दिनांक 01.09.2023 को आहुत कर बीमारी से निपटने हेतु सुस्पष्ट कार्ययोजना बना ली जाय।

(4) मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के स्तर पर गठित टीमों की बैठकों में सम्बन्धित विभागों के साथ–साथ निजी गौशालाओं के संचालकों को भी आमंत्रित किया जाय।

(5) मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के स्तर पर गठित टीमों की बैठकों में मा0 ब्लाक प्रमुखगण, नगर निकायों के मा0 अध्यक्षगण को भी आमंत्रित किया जाय।

(6) अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग द्वारा मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों का नियमित भ्रमण कर बैठकें आहूत करायी जायें तथा सघन रूप से टीकाकरण एवं उपचार का कार्य सुनिश्चित कराया जाय।

(7) जनपदों में सर्विलांस का कार्य सघन रूप से किया जाय तथा दिनांक 03.09.2023 तक डाटा कलेक्शन कर लिया जाय एवं दिनांक 04.09.2023 को nadcpup2020@gmail.com पर अनिवार्यतः सूचनायें प्रेषित की जाय।

(8) संकलित सूचनाओं के आधार पर LSD संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु दिनांक 05.09.2023 से 12.09.2023 तक विशेष अभियान चलाया जाय।

(9) यदि किसी पशुपालक के निजी स्वामित्व के इक्का–दुक्का पशु रोगग्रस्त है तो उन्हें वहीं कुछ दूर पर आइसोलेट किया जाय एवं उपचार के साथ–साथ सेनेटाईजेशन व अन्य पशुओं के लिए निरोधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। उक्त परिवार के सदस्य आस–पास के अन्य स्वस्थ पशुओं के निकट न जायें।

(10) यदि किसी गो आश्रय स्थल अथवा गोशाला में इक्का–दुक्का केस मिलें, उन्हें वहीं पृथक से कुछ दूरी पर शेड बनाकर संरक्षित किया जाय तथा प्रोपर सेनेटाईजेशन कराया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वस्थ एवं रोगी पशुओं के गोसवकों की पृथक टीमें बनाकर सेवा–सुश्रूषा की जाय तथा वेट एवं पैरावेट, मास्क, सेनेटाईजर तथा हैण्ड ग्लब्स का उपयोग करते हुए उपचार करें।

(11) यह एक विषाणु जनित रोग है जो कतिपय मक्खी, मच्छर आदि से फैलता है, अतः कीटनाशक का छिडकाव, फॉगिंग, साफ–सफाई, स्वच्छता युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जाय। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास विभाग द्वारा सम्पादित किया जाय इस संबंध में आवश्यक रसायन यथा SODIUM HYPOCHLORITE आदि उपकरण तथा बजट की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित की जाय।

(12) रोग की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल रोगी पशु की चिकित्सा व्यवस्था की जाय तथा पशु के स्वस्थ होने तक नियमित रूप से उसकी देखभाल की जाय।

(13) यह सुनिश्चित किया जाय कि उपचार हेतु समस्त आवश्यक औषधियां, उपकरण तथा अन्य SUPPLEMENTRY NUTRITION व वाहन की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रहें।

(14) उपचार के प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन किया जाय।

(15) यदि अपरिहार्य कारणों से किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो प्रोटोकॉल के अनुसार पशु शव का परिवहन सम्मानजनक तरीके से ढक कर निकटवर्ती चिन्हित स्थल पर DEEP BURIAL सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी तरह की लापरवाही न बरती जाय।

(16) रोग के प्रभावी नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु जनपद में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए यथा वाल पेंटिग, पम्फलेट वितरण, होडिंग आदि लगवाई जाए।

(17) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा वैक्सीनेशन प्लान बनाया जाय एवं रोग के संक्रमण एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत वर्तमान में पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड के जिलों को प्राथमिकता दी जाय। लम्पी स्किन डिजीज हेतु वर्तमान में गोटपॉक्स वैक्सीन का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। अतः जनपदों में इसके स्टोरेज की समुचित व्यवस्था की जाय । आर0वी0आर0आई0, बरेली तथा हिसार संस्थान द्वारा निर्मित लम्पी प्रो Lumpy Pro Vac वैक्सीन के उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। अतः आर0वी0आर0आई0, बरेली तथा हिसार संस्थान से समन्वय कर Lumpy Pro Vac वैक्सीन

शीघ्रतातिशीघ्र प्राप्त किया जाय। उपरोक्तनुसार इस रोग से बचाव एवं उपचार तथा टीकाकरण की कार्यवाही का सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करें, ताकि रोग पर नियंत्रण किया जा सके।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 30-08-2023 19:51:58
Reason: Approved

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2123(3) / सैंतीस–2–2023तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, मा0 मंत्री, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– प्रमुख मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– समस्त अपर निदेशक(ग्रेड–2), पशुपालन विभाग।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।